प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 123/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

"विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाना'' पर पूर्व–परामर्श पत्र

नई दिल्ली, 9 दिसंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज "विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाना'' पर पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग ने 8 मई, 2019 के अपने पत्र के द्वरा अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया है कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी (एनडीसीपी), 2018, अपने 'प्रोपेल इंडिया' 'मिशन के तहत 'निवेश और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था में सुधार करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों (जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, सर्विसेज और एप्लिकेशन लेयर) की अनबंडलिंग को सक्षम बनाना, इस कार्यनीति को पूरा करने की कार्य–योजनाओं में से एक है। दूरसंचार विभाग ने 8 मई, 2019 के अपने पत्र में भादूविप्रा से भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार अवनियामक प्राधिकारण अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) की शर्तों के तहत विभिदेक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

2. इस संबंध में "विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाना'' पर एक पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया गया है, जिसमें हितधारकों से पूर्व–परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 6 जनवरी, 2020 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

3. टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov. in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(यू. के. श्रीवास्तव)
सचिव (आई/सी), भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।